न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–120 सन् 2003

श्रीमती अनीता देवी.....वादी।

बनाम

नरेन्द्र सिंह उर्फ निरू सिंह वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–11.09.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिर है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिनांक 20.01.2023 को पारित आदेश को रिकॉल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 16.05.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख अ ादेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद अभी गवाही हेतु चल रहा है। दिनांक 27.10.2021 एवं दिनांक 12.01.2022 को सवाल मरम्मत का आवेदन दिया गया था। दोनों आवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन दिया तो श्रीमान् द्वारा कहा गया कि नॉट प्रेस कर देंगें। वापसी आवेदन जो दिया गया वो रिकार्ड में खोजने पर नहीं मिला। दिनांक 02.12.2022 को आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 का संशोधन आवेदन दिया था जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी ने दायर किया। दिनांक 20.01.2023 के आदेश देखने से वादी को काफी आश्चर्य हुआ वो सदमा लगा। वादीगण ने उक्त दोनों पीटिशन को वापस लेने के लिए आवेदन दिया था। इसके बावजूद भी आदेश में बार–बार संशोधन आवेदन देने वो चालित नहीं करने के आधार पर दिनांक 02.12.2022 के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। दिनांक 02.12.2022 के संशोधन आवेदन के मेरिट पर सुनवाई नहीं होने से वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। न्यायाहित में आदेश दिनांक 20.01.2023 को रिकॉल करना अति आवश्यक हैं। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 को रिकॉल कर दिनांक 02.12.2022 के संशोधन आवेदन को मेरिट पर सुनवाइ करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी सं0 06 की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 07.08.2023 को दाखिल कर कथन है कि जिस तरीके का वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि काबिले खारिज के हैं। वादी के द्वारा दिनांक 27.10.2021 वो दिनांक 12.01.2022 को दाखिल आवेदन से यह स्पष्ट है कि एक ही आश्य का सवाल दाखिल किया गया है वो दिनांक 27.10.2021 का सवाल खारिज हुआ तथा दिनांक 12.01.2022 का सवाल भी खारिज हुआ। वादी पुनः दिनांक 02.12.2022 को मरम्मतर सवाल पूर्व में दाखिल मरम्मत सवाल को ही दाखिल किया जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.12.2022 को दिया गया वो दोनों

पक्षों का बहस हुआ वो सुनवाई उपरांत वादी का सवाल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वादी बार–बार एक ही आश्य का मरम्मती सवाल दाखिल किया जा रहा है जबकि वादी को न्यायालय में पारित आदेश के विरूद्ध उपर के न्यायालय में जाना चाहिए। वादी इस मुकदमे का फेसला में विलंब करने की नियत से किसी प्रकार का सवाल देते हैं। वादी का सवाल न्याय के दृष्टि से स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी न्यायालय द्व ारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2023 को रिकॉल कराने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि दिनांक 02.12.2022 के संशोधन आवेदन के मेरिट पर सुनवाई नहीं होने से वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। न्यायाहित में आदेश दिनांक 20.01.2023 को रिकॉल करना अति आवश्यक हैं जबकि प्रतिवादी सं0 06 की ओर से प्रतिउत्तर में कथन है कि वादी के द्वारा दिनांक 27.10.2021 वो दिनांक 12.01. 2022 को दाखिल आवेदन से यह स्पष्ट है कि एक ही आश्य का सवाल दाखिल किया गया है वो दिनांक 27.10.2021 का सवाल खारिज हुआ तथा दिनांक 12.01.2022 का सवाल भी खारिज हुआ। वादी पुनः दिनांक 02.12.2022 को मरम्मतर सवाल पूर्व में दाखिल मरम्मत सवाल को ही दाखिल किया जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.12.2022 को दिया गया वो दोनों पक्षों का बहस हुआ वो सुनवाई उपरांत वादी का सवाल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। वादी बार–बार एक ही आश्य का मरम्मती सवाल दाखिल किया जा रहा है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा दिनांक 27.10.2021 वो 12.01.2022 को संशोधन आवेदन दाखिल किया था। वादी पुनः दिनांक 02.12.2022 को उसी आश्यक का आवेदन दिया गया जो सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया। चुंकि वाद बहुत पुराना है तथा वादी वाद के निष्पादन को लंबित रखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल आदेश रिकॉल आवेदन दिनांक 16.05. 2023 को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.05.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक .....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।